

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-04वीं मई 2022

सेवा में,

SHUBHRA BHARATI,
SS +2 HIGH SCHOOL,
BARAIK MUHALLA GUMLA

विषय :- मौजा-गुमला सदर, प्लॉट नं०-698, खाता न०-456, वार्ड नं०-20, थाना-गुमला, जिला-गुमला में निर्मित स्कूल भवनों हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित स्कूल भवनों के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, गुमला के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-126 दिनांक-29.04.2022 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त स्कूल भवनों हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. अग्निशमन कार्य हेतु सभी ब्लॉक भवनों में कम से कम दस-दस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ सभी ब्लॉक भवनों के सभी स्टेयरकेश लॉबियों में डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में प्रत्येक तलों पर 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
3. 450ली०/मि० क्षमता का एक-एक टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
4. इन पम्प को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
5. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
6. सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
7. प्रत्येक स्कूल भवनों के प्रत्येक स्टेयर केश के प्रत्येक तल पर एक-एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
8. स्कूल परिसर में दो फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
 - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
 - ii. Fire Bucket - 04 Nos.
 - iii. Water CO₂ Fire Extinguisher 09 Ltr- 04 Nos.
9. स्कूल भवनों में Travel Distance मानक के अनुरूप होना चाहिए।
10. नर्सरी से कक्षा तीन तक के छात्रों को सतही तल पर बैठाये जाने की व्यवस्था की जाय।
11. सभी क्लास रूम में दो दरवाजे होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
12. Multipurpose हॉल के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए।
13. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 के०जी० क्षमता का चार अदद CO₂ Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
14. स्कूल भवनों की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाय।
15. स्कूल भवनों में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए दो की दर से 06 के०जी० क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
16. स्कूल भवनों के प्रत्येक कम्प्यूटर रूम, Multipurpose हॉल अथवा लैब एवं लाईब्रेरी हो तो उसमें 4.5 के०जी० क्षमता का दो अदद Co₂ Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
17. स्कूल भवनों के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
18. स्कूल भवनों के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
19. स्कूल भवनों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाय।

20. स्कूल भवनों में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
21. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
22. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।